


20/8/2023 545000

21800

A (1) 16350
L.L.R.
P. 16354



दस्तावेज लिंपक
ला० न०-111/03
मेदिनीनगर (पलामू)



दस्तावेज लिंपक
ला० न०-111/03
मेदिनीनगर (पलामू)



दस्तावेज जाँचा
इस्ताक्षर

31 JUL 2023

SALE DEED

1. लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पता :- (बिक्रेता)

(1) श्री अवध बिहारी महतो पिता का नाम स्व० बली महतो.
(2) श्री मदन मेहता-पिता का नाम स्व० बली महतो
दोनों पिछड़ी जाति वर्ग II, (CNT ACT 1908 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं) निवास स्थान निमीयां, पो० सुदना, थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू, पेशा गृहस्थी, नागरिकता भारतीय।

PAN क्रमशः- BBMPM3304D & BLIPM5997A
आधार नं० क्रमशः XXXX XXXX 6734, XXXX XXXX 6811
शपथ पत्र सं० क्रमशः-2809ए०२४10 दिनांक- 31.07.2023

2. लेख्यधारी नाम एवं पूरा पता :- (क्रेता)

श्रीमती सीमा देवी पति का नाम श्री प्रकाश कुमार गुप्ता, पिछड़ी जाति वर्ग II (CNT ACT 1908 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं), निवास स्थान ग्राम एवं पो० कजरु खुर्द, थाना पाण्डू, जिला पलामू, झारखण्ड, पेशा गृहिणी, नागरिकता भारतीय।

PAN- IJLPD5901H आधार नं० XXXX XXXX 4364
शपथ पत्र सं०- 2811 दिनांक- 31.07.2023

जमा राशि ₹ 5,45,000 रुपये पांच लाख चार हजार रुपये केवल
श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा देखा और श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा लिखा और देखा और श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा लिखा

अशोक कुमार शर्मा
+पलामू मेडन 31.7.23

द्वितीय मेहता
पिता - नरेश मेहता
माता - निमीयां पो० सुदना
थाना - मेदिनीनगर पलामू
31.7.23

Online Fee Paid
ID/GRN No.

प्रतिबद्धित भूमि से बॉट
सत्या 280 कुंत है।
A

3. लेख्यप्रकार :- बिक्रय पत्र (SALE DEED)
4. (क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य:- मुबलीग 5,42,500/- (पांच लाख बेयालीस हजार पांच सौ) रूपये मात्र।
(ख) देय मूल्य :- मुबलीग 5,45,000/- (पांच लाख पैतालीस हजार) रूपये मात्र।
5. सम्पत्ति :- मवाजी 2.50 (दो दशमलव पांच शून्य) डी0 अवासीय जमीन गृह निर्माण योग्य एवं गृह निर्माण हेतु अन्दर ग्राम निमित्यां, मेदिनीनगर नगर निगम वार्ड नं0 03A, अंचल एवं नगर निगम मेदिनीनगर, जिला पलामू। इलाके वो जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर, जिला पलामू। हकियत लेख्यकारी को उत्तराधिकार में हक हासिल हैं। दस्तावेज के साथ बिक्री भू-खण्ड का नक्शा संलग्न है, जो दस्तावेज का अभिन्न अंग एवं अंश है।

भूमि का विवरण:-

थाना नं0	तौजी नं0	खेवट नं0	हल्का नं0	वार्ड नं0	मौजा
192	51	1	01	3A	निमित्यां

नगर निगम होल्डिंग नं0- 03A0001435000M0

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	चौहदी
24 (चौबीस)	280 (दो सौ अस्सी)	2.50 (दो दशमलव पांच शून्य) डी0	उ0- वर्तमान क्रेता निलम कुमारी द0- पूर्व से दस फीट चौड़ा रास्ता पू0- रीता पात्र प0- निज बिक्रेता

वार्षिक राजस्व- अनुमानित 3 रू0 अलावे सेस।

लगान पाने वाला- झारखंड सरकार द्वारा अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर, जिला पलामू।

मवाजी मालिक

मवाजी मालिक
31.7.23

अचल अंश पत्र लिखकरी बिक्रेता
अचल अंश निमित्यां पलामू नगर निगम
अचल अंश पत्र लिखकरी
31.7.23

विदित हो कि उपर वर्णित सम्पति लेख्यकारी के पिताजी ने खरीद कर प्राप्त किये थे। जिसका केवाला नं० 8649 वास्ते वर्ष 1972 ई० है। नामांतरण वाद सं० 381/1985-86 के माध्यम से नामांतरण होकर डिमाण्ड बली महतो के नाम से चलने लगा। बली महतो के मरणोपरान्त उनके द्वारा छोड़ी गई चल एवं अचल सम्पति का उत्तराधिकारी लेख्यकारीगण हुए। इस नाते उत्तराधिकार नामांतरण वाद सं० 1637 वर्ष 2010-11 के माध्यम से नामांतरण होकर डिमाण्ड लेख्यकारीगण के नाम से होल्डींग नं० 1558 पर चलने लगा एवं रसीद कटने लगी तथा कम्प्यूटरीकृत भाग वर्तमान 12 पृष्ठ सं० 59 पर लेख्यकारीगण का नाम दर्ज है। उक्त भू-खण्ड पर लेख्यकारीगण का निर्विवाद रूप से दखल-कब्जा कायम है तथा हर तरह से साफ-सुथरा है, किसी तरह का वाद-विवाद नहीं है। अगर किसी तरह का नुकश पाया जाता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी एवं क्षतिपूर्ति के साथ देनदार लेख्यकारीगण अथवा इनके उत्तराधिकारी होंगे।

यह कि लेख्यकारीगण को रूपये की सख्त जरूरत अपना-अपना विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते है, जिसका प्रबन्ध अपने-अपने पास से या अन्यत्र से कर पाना सम्भव प्रतीत नहीं हुआ है। तब इस संबंध में बिक्रेतागण परिवार के अन्य सभी सदस्यों के साथ अच्छी तरह से विचार-विमर्श किये और सर्व सम्मति से यह निश्चय किये कि अपने उपरोक्त सम्पति को बिक्री कर दिया जाए और अपने-अपने आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। अतः उपरोक्त सम्पति का बिक्री का प्रचार कराये। परिणाम स्वरूप कई सम्भावित खरीददार आए और सबों ने इसका अलग-अलग मूल्यांकन भी किये, परन्तु अन्त में लेख्यधारी ने भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आकर इसका भलि-भांति निरीक्षण किए तथा इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए आज के बाजार भाव के अनुसार उचित तथा अधिकतम मूल्य मुबलीग 5,45,000/- (पांच लाख पैंतालीस हजार) रूपये मात्र में उक्त सम्पति का सौदा लेख्यधारी (क्रेता) के साथ पक्का कर दिये।

उक्त
सं० 381/1985-86
के माध्यम से

31.7.23

बिलक
इसमें

पुसवा
मुबलीग 5,45,000/-
31.7.23

यह कि देय मूल्य की राशि मुबलीग 5,45,000/- (पांच लाख पैंतालीस हजार) रूपये लेख्यकारी नं0 1 ने भारतीय स्टेट बैंक का खाता सं0- 34562116616 में बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान प्राप्त किये हैं। तथा लेख्यकारी नं0 2 ने भारतीय स्टेट बैंक का खाता सं0- 30469173024 में बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान प्राप्त किये हैं

यह कि देय मूल्य की रकम में से अब लेख्यकारीगण को क्रेता से कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया है, इसलिए यह केवाला आज से ही पूरी तरह से असर में आ गया और उपर वर्णित सम्पति पर से अपना-अपना सम्पूर्ण स्वामित्व तथा दखल-कब्जा लेख्यधारी को दे दिये। इस प्रकार से सम्पति के सम्बन्ध में बिक्रेतागण का आज तक जो भी हक, अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त थे, अथवा भविष्य में इनके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होते वे सब अब ज्यों के त्यों लेख्यधारी को प्राप्त हुए। अब लेख्यधारी (क्रेता) को अधिकार प्राप्त हुआ कि इस भूखण्ड पर अपनी इच्छानुसार अपने एवं अपने परिवार के उपयोग तथा उपभोग करके लाभ उठावें, उक्त भू-खण्ड पर मकान बनवा कर निवास करें, अथवा जैसा उचित समझे इसका इस्तेमाल करें। अब उक्त भू-खण्ड को यथावत क्रेता को सौंप कर जमीन का पूर्ण स्वामी (मालिक) बना दिये तथा दखल-कब्जा दे दिये। क्रेता को आज की तिथि से सम्पूर्ण हकियत हक अधिकार विद्यमान हो गई लेख्यकारीगण इनके दखल-कब्जे को पूर्ण रूप से सम्पुष्ट करते हैं। इससे अब लेख्यकारीगण या इनके परिवार के किसी भी अन्य उत्तराधिकारियों अथवा स्थानापन्न को कुछ भी सम्बन्ध या सरोकार नहीं रहा और ना ही भविष्य में कभी भी रहेगा। किसी तरह के विवाद में क्षति-पूर्ति की पुरी जिम्मेवारी बिक्रेतागण की होगी।

अब लेख्यधारी को चाहिए कि इस सम्पति के सम्बन्ध में झारखंड सरकार के सिरिस्ते में अंचल कार्यालय द्वारा अपने नाम का

12/12/2017
31.7.23

31.7.23

अब उक्त भू-सम्पति से लेख्यकारी दर गुजरे व बाज आये इसलिए लेख्यकारीगण अपने-अपने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वस्थता में अपनी-अपनी इच्छा तथा प्रसन्नता से इस बिक्रय पत्र (Sale Deed) को क्रेता के पक्ष में तैयार करवा कर स्वयं से पढ़ कर और पढ़वा कर सुन-समझ लिये, तथा सही पाकर कर अपना-अपना हस्ताक्षर से इस दस्तावेज को निष्पादित कर दिये और निबंधन पदाधिकारी के समक्ष स्वयं से उपस्थित होकर एकरार किये तथा निबंधन की प्रक्रिया पुरा कराये, जो भू-सम्पति हस्तांतरण का स्थायी प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

आज दिनांक- 31.07.2027 स्थान-मेदिनीनगर जिला पलामू।

टंकक-



अभिप्रेत
दस्तावेज लापक
ला0 न0 -111/03
मेदिनीनगर (पलामू)

Seema Devi

31.7.27



मैं किस्मत मेहता (किस्मत मेहता) दस्तावेज नवीस ला0 न0 111/03 स्थान मेदिनीनगर प्रमाणित करता हूँ कि इस दस्तावेज में जिन-जिन व्यक्तियों का छायाचित्र लगा है उनके बांये हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष लिया गया है।

प्रारूपकर्ता:- किस्मत मेहता (किस्मत मेहता) दस्तावेज नवीस ला0 न0 111/03 स्थान मेदिनीनगर, दस्तावेज पढ़कर दोनों पक्षों को सुना व समझा दिया, बोले कि ठीक

अब उक्त भू-सम्पति से लेख्यकारी दर गुजरे व बाज आये इसलिए लेख्यकारीगण अपने-अपने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वस्थता में अपनी-अपनी इच्छा तथा प्रसन्नता से इस बिक्रय पत्र (Sale Deed) को क्रेता के पक्ष में तैयार करवा कर स्वयं से पढ़ कर और पढ़वा कर सुन-समझ लिये, तथा सही पाकर कर अपना-अपना हस्ताक्षर से इस दस्तावेज को निष्पादित कर दिये और निबंधन पदाधिकारी के समक्ष स्वयं से उपस्थित होकर एकरार किये तथा निबंधन की प्रक्रिया पुरा कराये, जो भू-सम्पति हस्तांतरण का स्थायी प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

अब उक्त भू-सम्पति से लेख्यकारी दर गुजरे व बाज आये इसलिए लेख्यकारीगण अपने-अपने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वस्थता में अपनी-अपनी इच्छा तथा प्रसन्नता से इस बिक्रय पत्र (Sale Deed) को क्रेता के पक्ष में तैयार करवा कर स्वयं से पढ़ कर और पढ़वा कर सुन-समझ लिये, तथा सही पाकर कर अपना-अपना हस्ताक्षर से इस दस्तावेज को निष्पादित कर दिये और निबंधन पदाधिकारी के समक्ष स्वयं से उपस्थित होकर एकरार किये तथा निबंधन की प्रक्रिया पुरा कराये, जो भू-सम्पति हस्तांतरण का स्थायी प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।